full respect for the Chair. We complied fully and we have no other issue. We never dispute the decision of the Chair and that is why he was asked to leave as per Rule 255, Sir. Even though, in the past, there has been imposition of Rule 255, I am not going into that because at no point do I want to say anything here which undermines the Chair.

Sir, the second is number 17 and I am reading from this Bulletin because my colleague at no point left his seat. He was in his seat and he was saying what he had to say from his seat. I am reading here from number 17 of yesterday's Bulletin - "Due to gross disorderly conduct in violation of rules and etiquette of Rajya Sabha, by the following Members, who entered the 'Well' of the House, shouted slogans persistently and wilfully obstructed the proceedings of the House, the Chair repeatedly adjourned the House". And there were thirty-three Members who were named in the list. So, I Seek a ruling from you on this. One Member was sitting and making his point from his seat. And another group of Members was in the well of the House. To use these words, "Due to gross disorderly conduct...and wilfully.." Sir, my request for the ruling is: Does this violate Article 14 of the Constitution of India? ...*(Interruptions)*... We have no other issue. ...*(Interruptions)*... We complied ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. I heard you. What happened yesterday was that there was a ruling by the Chairman. I am not able to say anything about that. Everybody has to obey ...*(Interruptions)*... Listen to me. ...*(Interruptions)*... Let me complete. ...*(Interruptions)*... You read the rules. It is very clear in the rules that the ruling of the Chair cannot be questioned; it cannot be discussed. Therefore, I am unable to give a ruling on that.

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, with all sadness and distress, and since we have no other option, we are walking out of the Rajya Sabha today. So, you excuse us.

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Need to bring back Kohinoor Diamond

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा)ः सर, आप जानते हैं कि हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण हीरा कोहिनूर था, उसके संबंध में महाराजा रणजीत सिंह ने 02 जुलाई, 1839 में अपनी लास्ट विल में लिखा था कि वे इस कोहिनूर को पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ को देना चाहते हैं, जगन्नाथ भगवान को देना चाहते हैं। जब हम हमारी आज़ादी का 50वां साल 1997 में मना रहे थे, उस वक्त राज्य में मेरे पास टूरिज्म और कल्चर मिनिस्ट्री थी और यहां पर इसी हाउस में मनमथ नाथ दास एक मेम्बर थे, जो हिस्टोरियन थे।

अब वे हिस्टोरियन नहीं रहे और करुणा सागर बेहरा भी हिस्टोरियन थे। हमारे ओडिशा के ये दो हिस्टोरियन्स थे, जिनके साथ बैठ कर हमने archive से उसको निकाला, जहां पर महाराजा रणजीत सिंह की विल थी, जिसमें यह लिखा था कि वे इस कोहिनूर को लॉर्ड जगन्नाथ को देना चाहते हैं, जगन्नाथ भगवान को देना चाहते हैं। हमने उसी साल यानी सन् 1997 में History and Heritage of Orissa Contribute to Indian History and Heritage के नाम से एक मैगजीन निकाली थी।

सर, उसमें उन्होंने जस्टिफाई किया कि महाराजा रणजीत सिंह ने किस कारण से भगवान जगन्नाथ को वह कोहिनूर देने की अपनी विल जाहिर की थी। उन्होंने जस्टिफाई किया कि गुरु नानक देव जी पुरी गए थे और वहां जाकर जगन्नाथ जी की आरती को उन्होंने गुरुग्रंथ साहिब में लिखा और यही कारण है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जस्टिफाई किया था और अपनी विल में लिखा कि इसको जगन्नाथ जी को दिया जाए।

सर, महाराजा रणजीत सिंह के दो पुत्र तो लड़ाई में शहीद हो गए, जो छोटा बेटा दिलीप सिंह था, जब वह पहुंचा... सर, मुझे बहुत खुशी हुई, जब पिछला चुनाव चल रहा था, तब आज के हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी साहब पुरी गए, लॉर्ड जगन्नाथ का, 'जय जगन्नाथ' का नारा उन्होंने वहां लगाया और मुझे इस बात से बहुत प्रसन्न्ता हुई कि जगन्नाथ धाम पर उनकी भी बड़ी भक्ति है। सर, इस सदन में जितने भी सदस्य बैठे हैं, उन सबको मालूम है कि जगन्नाथ की जो जायदाद है, वह सारी दुनिया में है। नेपाल में तो उनकी बहुत प्रॉपर्टी है। उनकी प्रॉपर्टी दुनिया भर में है। हम यही निवेदन करना चाहेंगे, लीडर ऑफ दि हाउस, श्री अरुण जेटली साहब यहां बैठे हैं, कि आप कुछ करके दिखाएं। आपने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा, वह बात सही नहीं है। दिलीप सिंह को लॉर्ड डलहौजी ने वहां ले जाकर क्रिश्चियन बना दिया, उनका conversion कर दिया और कह दिया कि उन्होंने वहां जाकर उसको ऑफर किया, यह गलत है।

सर, जब मैं टूरिज्म मिनिस्टर की हैसियत से वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट के तहत लंदन गया था, वहां पर मेरे साथ जो ड्राइवर था, वह गुजरात का था। उसके पिता जी भी वहीं के थे। वह हर समय मुझे कहता था कि ये लोग हमारे देश को कोहिनूर चोरी करके लाए हैं। ...**(समय की घंटी)**... सर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लदन में पैदा हुआ एक व्यक्ति कह रहा था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over.

श्री दिलीप कुमार तिर्की (ओडिशा)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री तपन कुमार सेन (पश्चिमी बंगाल)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री ए.यू. सिंह देव (ओडिशा)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री के.टी.एस. तुलसी (नाम-निर्देशित)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री अरविन्द कुमार सिंह (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री वैष्णव परिडा (ओडिशा)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री नरेश गुजराल (पंजाब)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्री माजीद मेमन (महाराष्ट्र)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

श्रीमती कनक लता सिंह (उत्तर प्रदेश)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करती हूँ।

श्री गुलाम रसूल बलियावी (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

†[جناب غلام رسول بلیاوی (بہار): مہودے، میں بھی خود کو اس موضوع کے ساتھ سمبدھ کرتا ہوں]

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया (गुजरात)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूँ।

SOME HON. MEMBERS: Sir, we all associate ourselves with the mention made by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All who are supporting will be happy if the Kohinoor is brought back. ...*(Interruptions)*... Every Member will be happy if it is brought back. ...*(Interruptions)*... Okay. Now, Shri P.L. Punia.

Need to increase the number of judges and to create All India Judicial Services

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश)ः उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। भारत की न्यायिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर हो चुकी है। जजों की कमी और मुकदमों की अधिक संख्या के कारण जजों पर अधिक केस सुनने का भी दबाव है। वे एक केस की सुनवाई में केवल दो मिनट से लेकर 15 मिनट का समय लगाते हैं और उस केस का निपटारा कर देते हैं, जिससे निःसंदेह क़ानून का फायदा देश के गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 31 में से 6 हाई कोर्ट के 1,056 में से 462 और निचली अदालतों में करीब 20,214 में से 4,600 न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं। आज 3 करोड़ 7 लाख केस लम्बित हैं, जो वर्ष 2040 तक बढ़कर 15 करोड़ होने का अनुमान है। आज देश के प्रति 10 लाख लोगों पर आवश्यक जजों की संख्या 50 की

†Transliteration in Urdu Script.